आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ–23(46)/लेखा/आकाशि/छात्रवृति/विविध/2023–24/08579 दिनांक

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय/नोडल महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :–वर्ष 2024–25 में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन छात्रवृत्ति/स्कूटी योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन किए जाने के क्रम में।

सन्दर्भ:– विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 23(80) लेखा/आकाशि/छा. ऑनलाईन/2024–25/08436/118 दिनांक 11.09.2024

उपर्युक्त संन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा सत्र 2024–25 के लिए छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन छात्रवृति/स्कूटी योजनाओं आवेदन हेतु छात्रवृति पोर्टल दिनांक 20.09.2024 से खोला जाकर अंतिम तिथि 20.11.2024 रखी गयी है। सत्र 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा नवीन महाविद्यालय (कुल 37) खोले गये है। इन नवीन महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन छात्रवृति/स्कूटी योजना में आवेदन के लिए नवीन महाविद्यालय का आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के छात्रवृति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिसके लिए महाविद्यालय को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले AISHE CODE एवं महाविद्यालय के संबंधित विश्वविद्यालय का University Affilation आवश्यक है। उक्त नवीन महाविद्यालयों का AISHE CODE एवं University Affilation का कार्य प्रक्रियाधीन है।

नवीन महाविद्यालय की उक्त परिस्थितियों को देखते हुए एवं विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति/स्कूटी योजनाओं का सभी अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तक लाभ पहुचाने के लिए नवीन महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को विभाग द्वारा मनोनित संबंधित नोडल महाविद्यालय की रजिस्ट्रर आई.डी./नाम से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की सत्र 2024–25 में अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है। ताकि कोई छात्र एवं छात्राएं विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति/स्कूटी योजनाओं में ऑनलाईन पत्र भरने से वंचित ना रहे।

संलग्न :– नवीन महाविद्यालयों एवं उनके नोडल महाविद्यालयों की सूची।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

क्रमांक एफ–23(46)/लेखा/आकाशि/छात्रवृति/विविध/2023–24/08579 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वेबसाईट प्रभारी को अपलोड हेतु।

RajKaj Ref
10889493

अतिरिक्त आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.04 19:49:19 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 4(02)नवीन महा/आयो/आकाशि/2024–05047

आदेश

परिवर्तित बजट वर्ष 2024–25 सामान्य वाद विवाद में घोषित किये गये नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु निम्नानुसार राजकीय महाविद्यालयों को एतद् द्वारा नोडल महाविद्यालय नियुक्त किया जाता है :–

क्र.स.	जिला	खोले गये नवीन महाविद्यालय का स्थान	सहशिक्षा /कन्या	नोडल महाविद्यालय का नाम
1	चित्तौड़गढ़	भदेसर	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया
2	झुंझुनूं	किठाना (चिड़ावा)	सहशिक्षा	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझुनूं
3	जोधपुर	बालेसर	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, बालेसर
4	सवाई माधोपुर	भगवतगढ़ (खण्डार)	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर

उक्त सभी नोडल महाविद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयो के अस्थायी संचालन के लिये जिला प्रशासन से सम्पर्क कर उपयुक्त अस्थाई भवन की व्यवस्था करावे जिसमें 07 कमरे उपलब्ध हो, सामान्य (सहशिक्षा/कन्या) महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए यूजीसी के मानदण्डानुसार 05 एकड़ (20235 वर्गमीटर) उपयुक्त भूमि चिन्हिकरण करे जो विवाद रहित एवं अतिक्रमण मुक्त हो, चिन्हित भूमि के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही हो तथा नदी–नालों से दूर हो, का आवंटन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2–निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3–संयुक्त निदेशक आयोजना/अकादमिक/एच.आर.डी/प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिशिचित करे।
4–वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
5–समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
6–संबंधित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय।
7–वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर संबंधित को ई–मेल करने हेतु।

आयुक्त

RajKaj Ref
9162709

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.07.24 17:45:03 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 4(02)नवीन महा/आयो/आकाशि/2024–05047

आदेश

परिवर्तित बजट वर्ष 2024–25 वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषित किये गये नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु निम्नानुसार राजकीय महाविद्यालयों को एतद् द्वारा नोडल महाविद्यालय नियुक्त किया जाता है :–

क्र.स.	जिला	खोले गये नवीन महाविद्यालय का स्थान	सहशिक्षा /कन्या	नोडल महाविद्यालय का नाम
1	शाहपुरा	कोटड़ी (जहाजपुर)	सहशिक्षा	श्री प्रतापसिंह बारहठ राज0 महावि0, शाहपुरा
2	बूंदी	लाखेरी (केशोरायपाटन)	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
3	जयपुर	कालवाड़	सहशिक्षा	राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर
4	जयपुर	बनीपार्क	सहशिक्षा	राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर
5	भीलवाड़ा	बदनोर	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, आसीन्द
6	जोधपुर	झवर	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर
7	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा
8	बालोतरा	चाडो की ढाणी (सिणधरी)	कन्या	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा
9	अनूपगढ	अनूपगढ	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ

उक्त सभी नोडल महाविद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयो के अस्थायी संचालन के लिये जिला प्रशासन से सम्पर्क कर उपयुक्त अस्थाई भवन की व्यवस्था करावे जिसमें 07 कमरे उपलब्ध हो, सामान्य (सहशिक्षा/कन्या) महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए यूजीसी के मानदण्डानुसार 05 एकड़ (20235 वर्गमीटर) उपयुक्त भूमि चिन्हिकरण करे जो विवाद रहित एवं अतिक्रमण मुक्त हो, चिन्हित भूमि के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही हो तथा नदी–नालों से दूर हो, का आवंटन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2–निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3–संयुक्त निदेशक आयोजना/अकादमिक/एच.आर.डी/प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिशिचित करे।
4–वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
5–समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
6–संबंधित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय।
7–वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर संबंधित को ई–मेल करने हेतु।

RajKaj Ref
9400798

Signature valid
आयुक्त
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.30 16:42:16 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 4(02)नवीन महा/आयो/आकाशि/2024—

आदेश

परिवर्तित बजट वर्ष 2024—25 में घोषित किये गये नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु निम्नानुसार राजकीय महाविद्यालयों को एतद् द्वारा नोडल महाविद्यालय नियुक्त किया जाता है :—

क्र.स.	जिला	खोले गये नवीन महाविद्यालय का स्थान	सहशिक्षा /कन्या	नोडल महाविद्यालय का नाम
1	अजमेर	सरवाड़	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, केकडी
2	भीलवाड़ा	गुलाबपुरा	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, आसीन्द
3	चित्तौड़गढ	राशमी (कपासन)	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, कपासन
4		डूंगला (बड़ी सादड़ी)	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, बड़ी सादड़ी
5	दूदू	मौजमाबाद	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, दूदू
6	जयपुर	विद्याधर नगर	सहशिक्षा	राजकीय कन्या महावि., किशनपोल बाजार
7	जोधपुर	चामू (शेरगढ़)	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, बालेसर
8	झालावाड़	डग	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, चौमहला
9	कोटा	दीगोद (सांगोद)	सहशिक्षा	राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा
10		चेचट (रामगंज मण्डी)	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, रामगंज मण्डी
11	प्रतापगढ	अरनोद	सहशिक्षा	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़
12	सीकर	रींगस	सहशिक्षा	राजकीय कन्या महाविद्यालय, होद
13	अलवर	कठूमर	कन्या	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर
14	शाहपुरा	जहाजपुर	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर
15	दौसा	सिकराय	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, सिकराय
16	जयपुर	फुलेरा	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक
17	जोधपुर	बिलाड़ा	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा
18		ओसियां	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, ओसियां
19	फलौदी	फलौदी	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, फलौदी
20	उदयपुर	फलासिया	कन्या	राजकीय महाविद्यालय, झाडोंल

उक्त सभी नोडल महाविद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयो के अस्थायी संचालन के लिये जिला प्रशासन से सम्पर्क कर उपयुक्त अस्थाई भवन की व्यवस्था करावे जिसमें 07 कमरे उपलब्ध हो एवं भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हिकरण करे जो विवाद रहित एवं अतिक्रमण मुक्त हो, चिन्हित भूमि के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही हो तथा नदी—नालों से दूर हो का आवंटन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1—निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2—निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3—संयुक्त निदेशक आयोजना/ अकादमिक/एच.आर.डी/ प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
4—वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
5—समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
6—संबंधित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय।
7—वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर संबंधित को ई—मेल करने हेतु।

आयुक्त

RajKaj Ref
8936579

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.19 17:32:48 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 4(02)नवीन महा/आयो/आकाशि/2024—05047

आदेश

परिवर्तित बजट वर्ष 2024—25 एवं वित्त विनियोग विधेयक में घोषित किये गये नवीन कृषि महाविद्यालयों के संचालन हेतु निम्नानुसार राजकीय महाविद्यालयों को एतद् द्वारा नोडल महाविद्यालय नियुक्त किया जाता है :—

क्र.स.	जिला	खोले गये नवीन कृषि महाविद्यालय का स्थान	नोडल महाविद्यालय का नाम
1	चूरू	चूरू	राजकीय महाविद्यालय, चूरू
2	डीग	कुम्हेर	राजकीय महाविद्यालय, डीग
3	जयपुर	जमवारामगढ़	राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़
4	दौसा	बालाहेड़ा (महवा)	राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई

उक्त सभी नोडल महाविद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालयों के अस्थायी संचालन के लिये जिला प्रशासन से सम्पर्क कर उपयुक्त अस्थाई भवन की व्यवस्था करावे जिसमें 07 कमरे उपलब्ध हो, कृषि महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए ICAR के मानदण्डानुसार 30 हैक्टेयर (3,00,000 वर्गमीटर) उपयुक्त भूमि चिन्हिकरण करे जो विवाद रहित स्वामित्व एवं अधिकारिता हो, भूमि अतिक्रमण मुक्त हो, इकोलोजिकल जोन में न हो, चिन्हित भूमि के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही हो तथा नदी—नालों से दूर हो, का आवंटन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक आयोजना/अकादमिक/एच.आर.डी/प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
4. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
6. संबंधित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय।
7. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर संबंधित को ई—मेल करने हेतु।

आयुक्त

RajKaj Ref
9617849

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.08 16:26:44 IST
Reason: Approved